न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
018/2021 (रसद) (GCMS 2021/395)	01.10.2021	06.10.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. नफीस पिता जफर खां निवासी कच्ची बस्ती, दादाबाडी, कोटा (राज.)।
2. भूपत सिंह पिता प्रेम सिंह निवासी पदमपुरा सिसवी, कुराबड उदयपुर (राज.)।

विपक्षीगण

उपस्थिति :– हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
शक्ति सिंह — अधिवक्ता विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत पुलिस थाना मंगलवाड की प्रथम सूचना रिपोर्ट 125/2021 दिनांक 03.09.2021 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03.09.2021 को जिला रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा को रात्रि 1 बजे दूरभाष पर पुलिस थाना मंगलवाड से सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे 76 मंगलवाडा उदयपुर न्यू चरण कमल होटल ईडरा कटके के पास पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण एवं व्यापार हो रहा हैं, जिसे एसओजी उदयपुर द्वारा डिटेन किया गया हैं तथा एसओजी उदयपुर की सूचना पर मौके पर मंगलवाड थाने के एएसआई अशोक कुमार मय चालक हीरालाल बेल्ट नंबर 998 के साथ मौके पर पहुँचे। मौके पर अशोक कुमार एएसआई द्वारा पुनः दूरभाष पर सूचना दी। जिला रसद अधिकारी द्वारा सुबह जब्ती संबंधित कार्यवाही हेतु दल भेजने की बात कही। उक्त सामग्री जो न्यू चरण कमल होटल पर थी, डिटेन कर साथ लाया गया। मौके पर दो व्यक्ति नफीस एवं भभूत सिंह को डिटेन कर

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साथ लाया गया। उक्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार आवेदक हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी हमराज मनजीत सिंह तथा मोहनीश राजावत, कनिष्ठ लिपिक रसद कार्यालय चित्तौड़गढ़ निजी वाहन से थाना मंगलवाड पर 12.30 पीएम पर पहुँचे। थाना मंगलवाड पहुँचने के पश्चात् अशोक कुमार एएसआई से सम्पर्क किया तथा तहसीलदार डूंगला से सम्पर्क कर घटना की जानकारी दी गई। मौके पर डूंगला तहसीलदार पन्नालाल के पहुँचने के पश्चात डिटेन किये गये सामग्री का गवाहों के समक्ष भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में टैंकर नंबर **RJ01GB4524** जिसमें मापक करने पर 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ खण्ड 3 में होना पाया गया। शेष खण्ड 1, 2 व 4 खाली पाई गई। महिन्द्रा पिकअप **RJ09GA5839** जिसके पीछे सफेद रंग की प्लास्टिक टैंक 2000 क्षमता लीटर जिसका मापन करने पर 600 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ 2 मोटर्स क्रमशः फाल्कान 02 एचपी व टोरमा 0.75 एचपी की तथा डिस्प्लेसिंग यूनिट होना पाया गया। एक पानी के टैंकर लाल रंग का जिस पर सांवरिया सेठ की जय लिखा हुआ हैं। जिसमें 3400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मापने पर होना पाया। मौके पर डिटेन किये हुए व्यक्ति नफीस पिता जफर खॉ निवासी कच्ची बस्ती दादाबाडी कोटा के बयान लिये गये। नफीस ने स्वीकार किया कि वह वाहन टैंकर नंबर **RJ01GB4524** का चालक हैं जो कोटा निवासी गुड्डु अब्दुल हबीब बकरा मण्डी सीआईडी चौराहा के पास कोटा का है। मैं न्यू चरण कमल होटल पर वाहनों से पट्रोलियम पदार्थ 60-70 प्रति लीटर खरीद कर 75-80 प्रति लीटर में बेचने का कार्य करता हूँ। मौके पर भूपत सिंह उर्फ भभुत सिंह पुत्र प्रेम सिंह निवासी पदमपुरा सिसवी कुराबड उदयपुर ने अपने बयान में बताया कि वह महिन्द्रा पिकअप **RJ09GA5839** का चालक हूँ। उक्त वाहन मैने रामजी अहीर टोल नाके के पास से किराये पर रखी है। मैं वाहनों से पेट्रोलियम पदार्थ खरीद कर 75-80 रूपयें में बेच देता हूँ। टैंकर पानी वाले में हम पेट्रोलियम पदार्थ का भंडारण करते है। मौके पर नफीस तथा भूपत सिंह उर्फ भभुत सिंह से पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण व्यापार परिवहन करने संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगने पर दस्तावेज होने से इन्कार कर दिया। अतः डिटेनशुदा टैंकर, महिन्द्रा पिकअप, पानी का टैंकर दो मोटर्स, डिस्पेन्सिंग यूनिट मय 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अभिग्रहण तैयार कर कब्जे में लिया गया तथा सुपुर्दगी नामा पर हस्ताक्षर करवाकर मंगलवाड थाने के मालखाना इन्चार्ज की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर ही गवाहों के समक्ष अभिग्रहित पेट्रोलियम पदार्थ कि रामस्वरूप उदाराम सेल्समेन ईस्ट वेस्ट पेट्रोलियम पम्प मंगलवाड थाने के पास से पदार्थ की डेनसीटी ज्ञात करवाई गई तथा मौके पर तीन नमूने ए-1, ए-2, ए-3 लिये गये। प्रत्येक नमूनें में 750 एमएल पेट्रोलियम पदार्थ भरकर प्लास्टिक सीलों में सील किया गया। प्लास्टिक सील का विवरण प्रार्थना पत्र में वर्णित है। नमूना ए-2 वास्ते जॉच मंगलवाड थाने की सुपुर्दगी में दिया गया तथा नमूना ए-1 तथा ए-3 वास्ते अग्रिम कार्यवाही रसद विभाग में

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

दिया गया। मौके पर अभिग्रहित टैंकर नंबर **RJ01GB4524** को प्लास्टिक सील नंबर 6881366 से वॉल्व बॉक्स तथा उपर के ढक्कनों को डायनेमिक लॉक से प्लास्टिक सील नंबर 6881353 से सील किया गया। नफीस पुत्र जाफर खॉ टैंकर चालक तथा भभुत उर्फ भूपत सिंह महिन्द्रा पिकअप चालक का यह कृत्य एमएस एण्ड एचएसडी ऑर्डर 2005 की धारा 3, 5 का स्पष्ट उल्लंघन है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रकरण में अभिग्रहित टैंकर नंबर **RJ01GB4524** जिसमें मापक करने पर 1000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, महिन्द्रा पिकअप **RJ09GA5839** जिसके पीछे सफेद रंग की प्लास्टिक टैंक 2000 क्षमता लीटर जिसका मापन करने पर 600 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ 2 मोटर्स क्रमशः फाल्कन 02 एचपी व टोरमा 0.75 एचपी की तथा डिस्प्लेसिंग यूनिट, एक पानी के टैंकर लाल रंग का जिस पर श्री सांवरिया सेठ की जय लिया हुआ है, जिसमें 3400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ राजसात कराने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 06.10.2021 विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता शक्ति सिंह हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 06.10.2021 को विपक्षीगण की और से जवाब पेश कर आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि उक्त प्रकरण में एटीएस/पुलिस थाना मंगलवाड द्वारा गैरसायलान को झूठा लिप्त किया गया है। उक्त प्रकरण में गैर सायलान का कोई लेना देना नहीं है। गैर सायलान अपने वाहन के पास बैठा हुआ था कि तभी पुलिस थाना मंगलवाड वालों ने नाम पूछ कर उक्त प्रकरण में लिप्त किया है। जबकि गैर सायलान का उक्त प्रकरण से कोई सरोकार नहीं है। ना ही उक्त प्रकरण के संबंध में गैर सायलान किसी प्रकार की कोई जानकारी रखते है। पुलिस थाना मंगलवाड के द्वारा गैरसायलान को उक्त प्रकरण में झूठा संलिप्त किया गया है। पुलिस थाना मंगलवाड द्वारा गैर सायलान को परेशान करने की नियत से झूठा प्रकरण दर्ज पंजीबद्ध कर प्रकरण में गैर सायलान को गिरफ्तार किया गया था जबकि गैर सायलान पूर्णतः निर्दोष है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा माल व वाहन को छोडा जावें तो गैरसायलान को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि उक्त माल व वाहन गैरसायलान का नहीं है। गैरसायलान कमजोर तबके के व्यक्ति है जिनको नाजायज रूप से कानूनी जंजाल में फसाये जाने पर उनका मानसिक संतुलन बिगडेगा तथा उनकी पारिवारिक परिस्थितियों पर विपरित प्रभाव पडेगा। एवं प्रार्थना की गई कि गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत जवाब को स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही को इसी स्टेट पर ड्रॉप फरमाये जाने का आदेश फरमावें। विपक्षीगण की और से प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 06.10.2021 को हाजिर अधिवक्ता विपक्षीगण ने प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की। इस पर हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर चिंतन-मनन किया। विपक्षी द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया। एवं जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे राज लिये जाने के संबंध में विपक्षीगण को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना मंगलवाड के पत्रांक/एसपीएल दिनांक 06.10.2021 से अनुसंधान पत्रावली मय टिप्पणी के न्यायालय हाजा के दीगर प्रकरण संख्या 255/2021 (रे.वि.) अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 बअनवानी अब्दुल हबीब बनाम सरकार वगैराह में प्रेषित की गई है। अपनी टिप्पणी में पुलिस थानाधिकारी मंगलवाड द्वारा अवगत कराया गया है कि जब्तशुदा डीजल का निस्तारण करवाते हुए वाहनों को छोडे जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, जो प्रकरण संख्या 255/2021 (रे.वि.) में शामिल पत्रावली होकर अनुसंधान पत्रावली हम किता है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में कार्यवाही दिनांक 03.09.2021 में जब्तशुदा टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ01 GB 4524** का स्वामित्व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वाहन स्वामी अब्दुल हबीब पिता अब्दुल हमीद पठान जाति मुसलमान निवासी 256, साजीदेहडा नगर निगम के पीछे दादाबाडी कोटा पुलिस थाना किशोरपुरा जिला कोटा (राज.) का प्रमाणित पाया जाने से इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 255/2021 (रे.वि.) में दिनांक 06.10.2021 को पारित निर्णयानुसार उनके वैध स्वामियों को राशि 20.00 लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर रिलीज करने के आदेश दिये गए हैं।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा 1 वाहन को वैध स्वामी को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर रिलीज करने के आदेश दिये जा चुके हैं एवं प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री यथा 2 मोटर्स क्रमशः फाल्कन 02 एचपी व टोरमा 0.75 एचपी की तथा डिस्प्लेसिंग यूनिट को राजसात किये जाने पर विपक्षीगण को किसी भी प्रकार को कोई उज्र एतराज नहीं होना जाहिर होता है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 5000 (1000+600+3400) लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री 2 मोटर्स क्रमशः फाल्कन 02 एचपी व टोरमा 0.75 एचपी की तथा डिस्प्लेसिंग यूनिट राजसात किये जाने योग्य है। इसके साथ ही प्रकरण में जब्तशुदा एक अन्य वाहन

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

महिन्द्रा पिकअप जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ09 GA 5839** है, एवं एक पानी के टैंकर लाल रंग का जिस पर श्री सांवरिया सेठ की जय लिखा हुआ है जब्तशुदा होकर वर्तमान में पुलिस थाना मंगलवाड की कस्टडी में है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अन्य दीगर वाहन एवं पानी के टैंकर को भी वैध स्वामियों को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर रिलीज किया जाना उचित होगा।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना मंगलवाड में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 125/2021 दिनांक 03.09.2021 में दिनांक 30.09.2021 को जब्तशुदा कुल 5000 (1000+600+3400) लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री 2 मोटर्स क्रमशः फाल्कन 02 एचपी व टोरमा 0.75 एचपी की तथा डिस्प्लेसिंग यूनिट को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं, एवं प्रकरण में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ09 GA 5839** है को वाहन के वैध स्वामी के राशि 08.00 लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किये जाने पर एवं जब्तशुदा अन्य पानी के टैंकर लाल रंग का जिस पर श्री सांवरिया सेठ की जय लिखा हुआ है को वैध स्वामी के राशि 03.00 लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किये जाने पर रिलीज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ09 GA 5839** है एवं पानी का टैंकर लाल रंग का जिस पर श्री सांवरिया सेठ की जय लिखा हुआ है के वैध स्वामियों के द्वारा न्यायालय में जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किये जाने तक पुलिस थानाधिकारी मंगलवाड अपनी कस्टडी में सुरक्षित रखेंगें। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 5000 (1000+600+3400) लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री 2 मोटर्स क्रमशः फाल्कन 02 एचपी व टोरमा 0.75 एचपी की तथा डिस्प्लेसिंग यूनिट को थानाधिकारी, पुलिस थाना मंगलवाड से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थानाधिकारी मंगलवाड को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>06.10.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official